दिनांक	टी0ए0 गिरा केस सं0 295/2018-19 आदेश	अभ्युक्ति
25/03/19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदिका **शीला सोय, पति-- हरि चरण सोय,** ग्राम-- आचु ,थाना-- **मुफस्सिल,** जिला-- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-- डिलियामार्चा, थाना नं०-- 108, खाता नं०-- 28 **पुराना, 33 नया,** प्लॉट नं०-- पुराना--2947,नया--609, रकवा-- **0.14 एकड़ भूमि को बन्धक लेने वाले** विजया बैंक चाईबासा **शाखा,** थाना-- **मुफस्सिल** के पास में बंधक रखनें की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ग) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बंधक हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के नाम पर नामात्रण मु0सं0 182(B) 2013/14 द्वारा नामांतरित है। तथा पंजी II में दर्ज है।आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक--198, दिनांक-- 7.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रूपये की आवश्यकता होने के कारण उक्त भू-खण्ड **को बन्धक लेने वाले विजया बैंक चाईबासा शाखा** को,थाना--मुफस्सिल चाईबासा के पास बंधक रखना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं बन्धक लेने वाले विजया बैंक दोनों मुफस्सिल थाना में है। आवेदिका अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बंधक करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट को बंधक रखने के पश्चात् आवेदिका के पास लगभग 0.32 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका **शीला सोय, पति-- हरि चरण सोय,** ग्राम-- आचु, थाना-- मुफस्सिल, भूमि को **बन्धक लेने वाले विजया बैंक चाईबासा** शाखा, थाना-- मुफस्सिल चाईबासा के पास जमीन को मौजा--डिलियामार्चा, थाना नं०-- 108, खाता नं०--28 पुराना 33,नया, प्लॉट नं० पुराना--2947,नया--609, रकवा-- 0.14 एकड जमीन को बंधक करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ग) के अन्तर्गत बंधक रखने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 25/3 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 25/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner